

समक्ष न्यायालय श्रीमान व्यवहार न्यायाधीश जूनियर डिविजन, जबलपुर,
जिला जबलपुर (म.प्र.)

व्यवहार वाद क्रमांक: 685 -अ/2023

प्रस्तुत दिनांक: 17/07/2023

श्रीमती शिल्पा मदान, पत्नि श्री अतुल मदान, उम्र
लगभग 50 वर्ष, निवासी - म0 नं0 1105, पचपेढी,
साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, तहसील व जिला
जबलपुर (म0प्र0)

.....वादी

विरुद्ध

1. मध्य प्रदेश वित्त निगम, द्वारा शाखा प्रबंधक, शाखा,
1108, पचपेढी, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर,
तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)
2. प्रधान कार्यालय मध्य प्रदेश वित्त निगम, द्वारा
महाप्रबंधक, वित्त हाउस, आगरा-बॉम्बे रोड, इंदौर,
तहसील व जिला इंदौर (म.प्र.)
3. मध्य प्रदेश परिसंपत्ति प्रबंधन निगम लिमिटेड, द्वारा
शाखा प्रबंधक, 45-ए/चौथी मंजिल, अरेरा हिल्स,
भोपाल, तहसील व जिला भोपाल (म.प्र.)
4. मध्य प्रदेश शासन, द्वारा कलेक्टर, जबलपुर (म0प्र0)

.....प्रतिवादीगण

दावा वास्ते घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने हेतु।

वाद मूल्यांकन एवं न्याय शुल्क

वाद मूल्यांकन:-

घोषणा हेतु मूल्यांकन-रु. 2,35,170/- (दो लाख पैंतीस हजार एक सौ सत्तर)
स्थायी निषेधाज्ञा हेतु मूल्यांकन - रुपये 10,000/- (दस हजार)

निश्चित न्याय शुल्क:-

घोषणा हेतु निश्चित न्यायालय शुल्क रुपये 1,000/- (एक हजार)
स्थायी निषेधाज्ञा हेतु निश्चित न्यायालय शुल्क रु. 500/- (पाँच सौ)

2/8/23

वादी माननीय न्यायालय से निम्नलिखित निवेदन करती है:-

1. यह कि, पचपेढी, साउथ सिविल लाईन्स, सुभाष चन्द्र बेनर्जी वार्ड, जबलपुर, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.) में स्थित नगर निगम पुराना मकान नं. - 453/4. (चार सौ त्रेपन बटे चार) नया नं. - 1107 (एक हजार एक सौ सात), सिविल स्टेशन, नजूल ब्लॉक नं. 35 (पैसीस), पुराना प्लॉट नं. 14/5 (चौदह बटे पाँच), नामान्तरण के बाद नया प्लॉट नं. 14/30 (चौदह बटे तीस), प्लॉट का कुल रकवा 1524 (एक हजार पाँच सौ चौबीस) वर्गफुट {141.61 (एक सौ इक्तालीस दसमलव इक्सठ) वर्गमीटर}, दिनांक 8.7.1992 (सात जुलाई वर्ष उन्नीस सौ वान्यवे) को बिक्रेता श्री टी. ए. रामचन्द्रन आत्मज स्व. टी. एस. अन्ना आयंगर, निवासी - मकान नं. 1107 (एक हजार एक सौ सात), पचपेढी, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा क्रेता श्री बाल मुकुन्द सराफ, आत्मज श्री दरबारी लाल सराफ, निवासी - 845 (आठ सौ पैतालीस), नेपियर टाउन, जबलपुर (म.प्र.) के पक्ष में पंजीकृत बिक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक-2746 के माध्यम से बिक्रय किया गया था।

2. यह कि, उपरोक्त वर्णित प्लॉट जिसके तल मंजिल के कुल रकवा 644 (छै: सौ चवालिस) वर्गफुट पर एवं प्रथम मंजिल पर कुल 400 (चार सौ) वर्गफुट रकवे पर मकान बना हुआ था को श्री बाल मुकुन्द सराफ, आत्मज श्री दरबारी लाल सराफ, निवासी - 845 (आठ सौ पैतालीस), नेपियर टाउन, जबलपुर (म.प्र.) की विधिक वारिस श्रीमती किरन सराफ, पिता/पति स्व. मनोज सराफ, निवासी - म. नं. - 1107 (एक हजार एक सौ सात), पचपेढी रोड, जस्टीस गेस्ट हाउस के सामने, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा दिनांक 12.2.2020 (बारह फरवरी वर्ष दो हजार बीस) को क्रेता श्री अभिराम खरे, पिता श्री कृष्णा मुरारी खरे एवं श्रीमती नमिता खरे पत्नि श्री अभिराम खरे, दोनों निवासी - म. नं. - 501 (पाँच सौ एक) बी, रेल सौरभ कालोनी, महाकौशल हाट बाजार के पास, जबलपुर (म.प्र.) के पक्ष में पंजीकृत बिक्रय पत्र के माध्यम से बिक्रय किया गया था।

3. यह कि, दावा की कण्डिका क्रमांक-1 (एक) में वर्णित प्लॉट के तल मंजिल के कुल रकवा 644 (छै: सौ चवालिस) वर्गफुट पर एवं प्रथम मंजिल पर कुल 400 (चार सौ) वर्गफुट रकवे पर बने मकान को पूर्णतः नष्ट करने के पश्चात् खाली प्लॉट को पुनः श्री अभिराम खरे, पिता श्री कृष्णा मुरारी खरे एवं श्रीमती नमिता खरे पत्नि श्री अभिराम खरे, दोनों निवासी - म. नं. - 501 (पाँच सौ एक) बी, रेल सौरभ कालोनी, महाकौशल हाट बाजार के पास, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा दिनांक 29.6.2021 (उन्तीस जून वर्ष दो हजार इक्कीस) को वादी श्रीमती शिल्पा मदान, पत्नि श्री अतुल मदान, निवासी - म. नं. - 1105 (एक हजार एक सौ पाँच), पचपेढी, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर (म.प्र.) के पक्ष में पंजीकृत बिक्रय पत्र के माध्यम से बिक्रय किया गया है।

S/W 123

4. यह कि, पचपेढी, साउथ सिविल लाईन्स, सुभाष चन्द्र बेनर्जी वार्ड, जबलपुर, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.) में स्थित नगर निगम पुराना मकान नं. - 453/4, (चार सौ त्रेपन बटे चार) नया नं. - 1107 (एक हजार एक सौ सात), सिविल स्टेशन, नजूल ब्लॉक नं. 35 (पैसीस), पुराना प्लॉट नं. 14/5 (चौदह बटे पाँच), नामान्तरण के बाद नया प्लॉट नं. 14/30 (चौदह बटे तीस), प्लॉट का कुल रकबा 1524. (एक हजार पाँच सौ चौबीस) वर्गफुट {141.61 (एक सौ इक्तालीस दसमलव इक्सठ) वर्गमीटर} जिसकी मालिक स्वामी वादी है उक्त प्लॉट की चौहद्दी इस प्रकार हैं कि:- उत्तर में लेफ्ट. कर्नल मदान की संपत्ति, दक्षिण में म.प्र. वित्त निगम का कार्यालय एवं अरोरा जी का मकान, पूर्व में रोड़, पश्चिम में श्री चौधरी जी की संपत्ति है, वादी द्वारा क्रय किये गये उक्त प्लॉट के पूर्व दिशा में जिस तरफ साइड रोड़ है, रोड़ से वादी को अपने प्लॉट तक पहुँचने के लिए 10 (दस) फुट चौड़ा X 67.5 (सठसठ दसमलव पाँच) फिट लम्बा एक रास्ता है जो कि प्रतिवादी क्र. 1 (एक) एवं 2 (दो) के प्लॉट का हिस्सा है, उक्त प्लॉट के पूर्व मालिक श्री सुन्दरलाल गुप्ता द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-1 (एक) व 2 (दो) के पक्ष में दिनांक 20.11.1986 (बीस नवम्बर वर्ष उन्नीस सौ छियासी) को जब पंजीकृत बिक्रय पत्र निष्पादित किया जा रहा था तब उक्त पंजीकृत बिक्रय पत्र के पृष्ठ क्र. 11 में यह स्पष्टतः वर्णित किया गया कि: **'It shall allow right of way to T.A. Ramchandran on a piece of land 6 ft. wide and 405 Sq.ft. in area shown hatched in black, in the map'** किन्तु वादी द्वारा क्रय किया गया प्लॉट रोड़ से लगभग 67.5 (सठसठ दसमलव पाँच) फिट भीतर है और यदि उक्त प्लॉट में स्थिति मकान में कभी आग लगने या अन्य किसी भी तरह की आपदा के समय बचाव व राहत कार्य हेतु उपलब्ध वाहन जैसे फायर ब्रिगेड या अन्य और कोई बड़े वाहन मकान तक नहीं पहुँच पाते इसी कारण उक्त प्लॉट के पूर्व स्वामी श्री टी. ए. रामचन्द्रन द्वारा प्रतिवादी क्र. 1 (एक) व 2 (दो) के अधिकारियों से मौखिक बात-चीत कर उक्त 6 (छः) फीट के रास्ते को 10 (दस) फीट छुड़वाया गया था इसी कारण आज भी वस्तु स्थिति में उक्त रास्ता 10 (दस) फुट चौड़ा X 67.5 (सठसठ दसमलव पाँच) फिट लम्बा ही है जिसके मुहाने पर एक लोड़े का गेट भी लगा हुआ है उक्त रास्ते का उपयोग वादी के प्लॉट के पूर्व मालिकगण जिसमें श्री टी. ए. रामचन्द्रन आत्मज स्व. टी. एस. अन्ना आयंगर वर्ष 1986 के पूर्व से एवं दिनांक 8.7.1992 (आठ जुलाई वर्ष उन्नीस सौ बान्धवे) से श्री बाल मुकुन्द सराफ, आत्मज श्री दरबारी लाल सराफ एवं दिनांक 12.2.2020 (बारह फरवरी वर्ष दो हजार बीस) से श्री अभिराम खरे, पिता श्री कृष्णा मुरारी खरे एवं श्रीमती नमिता खरे पत्नि श्री अभिराम खरे रास्ते के रूप में करते रहे हैं एवं क्रय दिनांक 29.6.2021 (उन्तीस जून वर्ष दो हजार इक्कीस) से वादी भी लगातार उक्त रास्ते का पूर्ण उपयोग कर रही है एवं वादी के पास अपने प्लॉट से आने-जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य और कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, किन्तु उक्त रास्ते के दक्षिण में जिस तरफ प्रतिवादी क्र. 1 (एक) व 2 (दो) का कार्यालय स्थित है उस तरफ लगभग 3.9 (तीन दसमलव नौ) फिट X 40.2 (चालिस दसमलव दो) फिट कुल रकबा 156.78 (एक सौ छप्पन दसमलव अट्ठत्तर) वर्गफुट



20/12

पर प्रतिवादी क्रमांक-1 (एक) द्वारा अनावश्यक एवं अवैधानिक तरीके से बॉउड्री वाल का निर्माण कराया जा रहा है जो कि वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शों में लाल रंग से A, B, C & D से संबोधित किया गया है, उक्त रास्ते वाले स्थान के कुल रकबा 156.78 (एक सौ छप्पन दसमलव अद्वहत्तर) वर्गफुट जो कि नक्शों में लाल रंग से A, B, C & D से दर्शित है जिस पर प्रतिवादी क्रमांक-1 (एक) द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा है दावे में आगे उसे ही वादग्रस्त स्थान/संपत्ति से सम्बोधित किया जावेगा।

5. यह कि, दिनांक 8.7.2023 (आठ जुलाई वर्ष दो हजार तेईस) को वादी को आम लोगों से चर्चा के दौरान यह पता चला है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 (एक) व 2 (दो) द्वारा उक्त वादग्रस्त स्थान पर उँची बॉउड्री वाल का निर्माण कराने के पश्चात् प्रतिवादी क्रमांक-3 (तीन) की सहायता से स्वयं के कार्यालय वाले स्थान को जिसमें वादग्रस्त स्थान पर बॉउड्री वाल तैयार कर उसे भी शामिल कर बिक्रय करने की तैयारी कर रहे हैं।

6. यह कि, प्रतिवादी क्रमांक-1 (एक) व 2 (दो) द्वारा उक्त वादग्रस्त स्थान पर बॉउड्री वाल का निर्माण करा दिया जाता है तो वादी के आने जाने का रास्ता अत्यंत संक्रीण हो जावेगा। जबकि मध्य प्रदेश आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, भोपाल द्वारा यह स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि कोई भी भवन किसी अन्य भवन तक पहुँचने के मार्ग से वंचित नहीं करेगा-कोई भी भवन इस प्रकार नहीं बनाया जाएगा जिसके कारण किसी अन्य भवन तक पहुँचने का मार्ग न रहे। हीन हो आवेगा, साथ ही क्योंकि वादी ने उक्त खाली प्लॉट क्रय किया है एवं वादी उक्त प्लॉट पर अपने निवास हेतु मकान का निर्माण करायेगी जिसके लिए वादी को नगर निगम जबलपुर से एवं अन्य विभागों से आवश्यक स्विकृतियां लेना पड़ेगी किन्तु यदि प्रतिवादी क्रमांक-1 (एक) व 2 (दो) वादग्रस्त स्थान पर निर्माण कार्य पूरा कर लेते हैं एवं वादी के रास्ते को संक्रीण कर देते हैं तो मकान निर्माण हेतु ली जाने वाली स्विकृतियां वादी को किसी भी विभाग से प्राप्त नहीं होगी जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति करित होगी। जिसकी भरपाई किया जाना संभव नहीं होगा एवं वादी को वादग्रस्त स्थल से अपने प्लॉट तक पहुँचने का सुखाधिकार भी अर्जित हो गया है जिसमें प्रतिवादी क्रमांक 1 (एक) व 2 (दो) एवं उसके कर्मचारियों को बाधा उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं है।

7. यह कि, दावे का वाद कारण प्रथम बार दिनांक 28.3.2023 (अद्वितीय मार्च वर्ष दो हजार तेईस) को तब हुआ जब प्रतिवादी क्रमांक- 1 (एक) व 2 (दो) के कर्मचारी द्वारा वादग्रस्त स्थल का नाप-जोख किया जाने लगा एवं पुनः दिनांक 8.7.2023 (आठ जुलाई वर्ष दो हजार तेईस) को उस समय उत्पन्न हुआ जब बॉउड्री वाल को वादी के रास्ते की तरफ भोड़कर बनाने एवं उँचा करने हेतु कार्य की शुरुआत की जा जाने लगी, वादी द्वारा मना करने पर भी प्रतिवादीगण निर्माण नहीं रोक रहे हैं यदि वादी का उक्त रास्ता किसी भी तरह का



5/8/23

निर्माण करके अवरूद्ध कर दिया जाता है तो वादी को स्वयं के प्लॉट तक पहुँच मार्ग ही समाप्त हो जावेगा अतः दिनांक दिनांक 28.3.2023 (अट्टाईस मार्च वर्ष दो हजार तेईस) व दिनांक 8.7.2023 (आठ जुलाई वर्ष दो हजार तेईस) से लेकर आज दिनांक तक वाद कारण निरंतर जारी है।

8. यह कि, प्रतिवादी क्रमांक-4 (चार) को प्रकरण में पक्षकार इस कारण से बनाया गया है क्योंकि प्रतिवादी क्रमांक-4 (चार) के आधीन ही प्रदेश के समस्त विभाग कार्य करते हैं।

9. यह कि, उपरोक्त कारणों से इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है इस कारण सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है और वादी को अपूर्णीय क्षति कारित हो रही है।

10. यह कि, उपरोक्त वादग्रस्त स्थान साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, तहसील व जिला जबलपुर में स्थित हैं जो माननीय न्यायालय की सुनवाई के क्षेत्राधिकार में हैं।

यह कि, घोषणा हेतु वाद मूल्यांकन रुपये 2,35,170/- (दो लाख पैतीस हजार एक सौ सत्तर) एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद मूल्यांकन रुपये 10,000/- (दस हजार), जिस पर निश्चित न्याय शुल्क, घोषणा हेतु रुपये 1,000/- (एक हजार) एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु रुपये 500/- (पाँच सौ) नियमानुसार चरमा की जा रही है।

11. यह कि, वादी अपने पक्ष समर्थन में सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत कर रही है एवं आवश्यकता अनुसार अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगी।

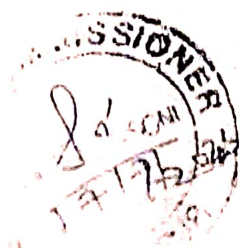
12. यह कि, दावे के समर्थन में शपथ पत्र संलग्न है।

सहायता एवं अनुतोष

13. अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 (एक) लगायत 3 (तीन) के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित करने की कृपा हो:-

अ. यह कि, वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादिगण के विरुद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी दावे में वर्णित वादग्रस्त स्थल से अपने प्लॉट तक आने-जाने हेतु रास्ते का उपयोग करने का अधिकारी है और वादी को वादग्रस्त स्थान पर रास्ते का सुखाधिकार प्राप्त है।

ब. यह कि, वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादिगण के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादिगण या वह अपन किसी अन्य अभिकर्ता या सहयोगी



1082

कर्मचारी के द्वारा वादग्रस्त स्थान पर तोड़-फोड़ कर और कभी भी किसी भी तरह से निर्माण कार्य कर या किसी अन्य के पक्ष में बिक्री कर वादी के रास्ते वाले स्थान को किसी तरह से क्षति कारित न करें।

स. इस वाद का संपूर्ण व्यय प्रतिवादीगण से दिलाया जाय तथा अन्य आवश्यक अनुतोष जो भी न्यायालय उचित समझे वह भी वादी को दिलाया जाय।

स्थान: जबलपुर
दिनांक:- 17/07/2023

SLPS
वादी
(श्रीमती शिल्पा मदान)

चन्द्रहास दुबे एडवोकेट
अधिवक्ता वास्ते वादी

// सत्यापन //

मैं, श्रीमती शिल्पा मदान, पति श्री अतुल मदान, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी - म0 नं0 1105, पंचपेदी, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, तहसील व जिला जबलपुर (म0प्र0) की आज दिनांक: 17/07/2023 को हस्ताक्षर कर सत्यापित करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद पत्र की कण्डिका क्रमांक 1 से 10 तक में वर्णित समस्त जानकारी मेरे निजी ज्ञान व मेरे विधिक परामर्श दाता द्वारा दी गई जानकारी से सही हैं।

स्थान: जबलपुर
दिनांक:- 17/07/2023

SLPS
सत्यापनकर्ता/वादी
(श्रीमती शिल्पा मदान)

17th July 23
Shilpa Madan w/o. Anil Madan
who are here
Shilpa Madan Vishal Kumar
An

SHILPA MADAN SONTI
17/7/23

समक्ष न्यायालय श्रीमान व्यवहार न्यायाधीश जुनियर डिविजन, जबलपुर,
जिला जबलपुर (म.प्र.)

व्यवहार वाद क्रमांक:

--अ/2023

श्रीमती शिल्पा मदान

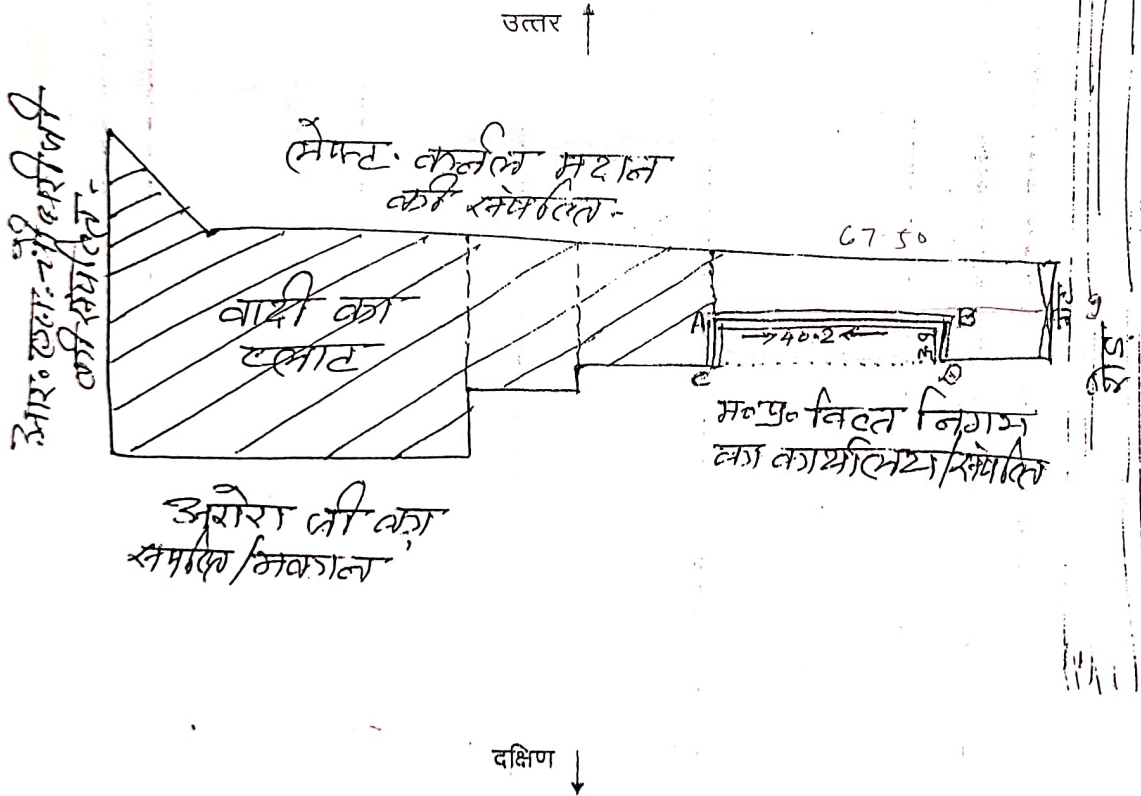
.....वादी

विरुद्ध

मध्य प्रदेश वित्त निगम व अन्य

.....प्रतिवादीगण

वादग्रस्त स्थल का नजरी नक्शा



स्थान: जबलपुर

दिनांक:- 17/07/2023

वादी SLP
(श्रीमती शिल्पा मदान)



घनदहास दुगे एडवोकेट
अधियक्ता वास्ते वादी